म०प्र० शासन / अखिल म०-मंडलीय
स्वर्ण सिरोमणि मुनि समाज
गोरखपुर

पुनर्विलोकन अनुमति 957-PBR-15

न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद

क्रमांक 874 / प्रवाचक–1 / 2015

होशंगाबाद, दिनांक 26–3–2015

प्रति,

माननीय अध्यक्ष,
राजस्व मंडल
म०प्र०ग्वालियर

राजस्व मण्डल
5098
आवक क्र.
दिनांक 9-4-15
म०प्र० ग्वालियर

विषयः– म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत पुर्नविलोकन की अनुमूति।
संदर्भ– न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद के ज्ञाप कमांक 2697 / दिनांक 17–3–2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद के व्दारा प्रकरण कमांक 2अ6वर्ष 2011.12 मौजा खंजनपुर एवं न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल का प्रकरण कमांक 2अ / 6(अ)वर्ष 2005.06 संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। अतः उक्त वांछित प्रकरण संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है ।

संलग्न–1– प्र.क.2अ6वर्ष 2011.12
2– प्र.क.2अ / 6(अ)वर्ष 2005.06
14/31-6/02-03

नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद (म.प्र.)

संयुक्त आयुक्त
नर्मदापुरम संभाग
होशंगाबाद

9/4/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 957–पीबीआर/15 | जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–09–2015	आवेदक शासन की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, पेनल लॉयर उपस्थित । उन्हें पुनर्विलोकन की अनुमति पर सुना गया । विचारोपरांत प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति के पर्याप्त आधार होने से प्रकरण पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति दी जाती है । अध्यक्ष	